रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275199
SG-DL-E-05082026-275199

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2026/श्रावण 7, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 135
No. 205] DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948 [N. C. T. D. No. 135

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त विभाग:

(पब्लिक फाइनेंस सेल)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

फा. स. **F.FIN-PF/2/2026-PF-FD/345812/209**.—दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के उप-राज्यपाल, 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के समेकित ऋण शोधन निधि के गठन और प्रशासन की योजना' के नाम से जानी जाने वाली निम्नलिखित योजना को बनाने की मंज़ूरी देते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित ऋण शोधन निधि के
गठन एवं प्रशासन हेतु योजना

योजना का शीर्षक

1 इस योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (तत्पश्चात 'सरकार' के रूप में संदर्भित) की 'समेकित ऋण शोधन निधि (तत्पश्चात 'निधि' के रूप में संदर्भित) योजना' कहा जाएगा।

निधि का गठन

2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु इस निधि का गठन किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

3 इस निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाले सरकार के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु परिशोधन निधि के रूप में किया जाएगा।

योजना के संचालन का प्रारंभ

4 यह निधि अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी। योजना का संचालन निम्नानुसार होगा:

(क) यह निधि सरकार द्वारा अपनाई गई मौजूदा सीएसएफ योजना के अंतर्गत उल्लिखित मौजूदा निधि को प्रतिस्थापित करेगी।

(ख) मौजूदा सीएसएफ योजना के अंतर्गत मौजूदा निधि की मार्च 2026 के अंत तक की बकाया शेष राशि को निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(ग) पिछले द्वितीय वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक सीएसएफ में बकाया कॉर्पस का 50 प्रतिशत, या वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान देय मोचन राशि, इनमें से जो भी कम हो, उसे वर्ष के दौरान सीएसएफ से निकासी की अधिकतम पात्र सीमा की पहुँच तक गणना की जानी चाहिए।

(घ) इस निधि का उपयोग सरकार के बकाया दायित्वों के भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु नहीं किया जाएगा।

(ङ) राज्य सरकार, अस्थायी नकदी प्रवाह असंतुलन को दूर करने के लिए, सीएसएफ में किए गए निवेश की संपार्श्विक के बदले भारतीय रिजर्व बैंक (तत्पश्चात 'बैंक' के रूप में संदर्भित) से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के अंतर्गत अल्पकालिक ऋण सहायता का लाभ उठा सकती है, बशर्ते कि यह बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन हों।

(च) बकाया देनदारियों को सरकार के आंतरिक ऋण और सार्वजनिक खाता देनदारियों दोनों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

निधि में योगदान

5 सरकार को पांच वर्षों की अवधि के भीतर सीएसएफ कोष को बकाया देनदारियों के पांच प्रतिशत तक बनाने की दिशा में सचेत प्रयास करना चाहिए। एक वर्ष में योगदान करने के समयों की संख्या के संदर्भ में निधि में ऐसे योगदान पर कोई सीमा नहीं है। सरकार अपनी इच्छानुसार किसी भी समय सामान्य राजस्व से या विनिवेश से प्राप्त आय जैसे अन्य स्रोतों से निधि में निवेश कर सकती है। सरकार रिजर्व बैंक से लिए गए ऋणों से निधि में अपना योगदान नहीं देगी।

निधि का सामान्य राजस्व से संबंध

6 निधि का कार्पस, जिसमें आवधिक अंशदान तथा निधि में प्राप्त होने वाली आय शामिल है, को सरकार के सामान्य राजस्व से अलग रखा जाएगा। इस निधि का उपयोग इस योजना में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

निधि का प्रबंधन

7 निधि का प्रबंधन नागपुर स्थित बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग द्वारा किया जाएगा (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों के अधीन)।

निधि के कॉर्पस का निवेश

8 निधि में होने वाली वृद्धि को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी प्रतिभूतियों, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और अन्य राज्यों की राज्य

सरकार की प्रतिभूतियों में ऐसी परिपक्वता अवधि में निवेश किया जाएगा जो बैंक समय-समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित करेगा।

स्पष्टीकरण

(क) निधि में होने वाली वृद्धि में आवधिक अंशदान और उसके निवेश से निधि को प्राप्त होने वाली आय शामिल होगी।

(ख) बैंक द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करके निवेश के लिए प्रतिभूतियां उपलब्ध कराएगा, अनुच्छेद 10 में उल्लिखित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं लगाएगा।

खाता-लेनदेन 9 (क) बैंक सरकार की सलाहानुसार अपने पास अनुरक्षित सरकारी खाते से नामे करने की व्यवस्था करेगा।

(ख) निधि में अंशदान का निवेश बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में 10,000/- रुपये के गुणकों में अनुच्छेद 8 में यथा संकेतित होगा।

(ग) ब्याज आय के रूप में निधि में आवधिक वृद्धि को बैंक द्वारा 10,000/- रुपये के गुणकों में समान तरीके से पुनर्निवेश किया जाएगा।

(घ) निधि में रखे गए और योजना की अवधि के दौरान परिपक्व होने वाले निवेशों को अनुच्छेद 8 के अनुसार पुनर्निवेशित किया जाएगा।

(ङ) निधि के गठन की तिथि से पांच वर्ष पूर्ण होने तक निधि से किसी भी प्रकार की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण

(क) निधि के गठन की तिथि से पांच वर्ष पूर्ण होने पर आगामी वित्तीय वर्ष से निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) आवधिक किश्तों के कारण सरकार को देय नामे को मुख्य शीर्ष 8222 ऋण शोधन निधि; उप-मुख्य शीर्ष – 01 ऋण से बचाव के लिए विनियोजन; गौण शीर्ष – 101 ऋण शोधन निधि के अंतर्गत लेखांकित किया जाएगा। ऋण की परिपक्वता पर, शीर्ष 8222 ऋण शोधन निधि; उप-मुख्य शीर्ष – 01 ऋण से बचाव के लिए विनियोजन; गौण शीर्ष – 101 ऋण शोधन निधि के अंतर्गत बकाया राशि को शीर्ष 8680-00-101 खाता बही शेष समायोजन खाते में जमा किया जाएगा।

(ग) बैंक सामान्य प्रक्रिया में आकस्मिक शुल्क घटाकर निवेश के कारण को नामे को सरकार के पास भेजेगा। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश लेनदेन अन्य लेनदेन के साथ मिश्रित न हों, इन्हें अलग-अलग सूची में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(घ) बैंक निवेशों पर ब्याज वसूलने और नियत तिथियों पर उसे निधि में जमा करने की व्यवस्था करेगा।

(ङ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर, बैंक प्रतिभूतियों के भुगतान हेतु व्यवस्था करेगा। देय दावों के भुगतान हेतु समय से पहले विनिवेश की स्थिति में, बैंक उन प्रतिभूतियों पर निर्णय लेगा जिन्हें बेचा जाना है और उन्हें प्रचलित मूल्य पर बेचकर आकस्मिक शुल्क को कम करते हुए प्राप्त राशि को निधि में जमा करेगा। यदि इन प्रतिभूतियों में हानि होती है, तो बैंक सरकार से परामर्श करके बेची जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय ले सकता है। नामे सूची के मामले में, बैंक प्राप्तियों के लिए अलग सूची का उपयोग करेगा।

(च) आवधिक अंशदानों के कारण होने वाले व्यय के लिए प्रावधान सरकार के बजट में संबंधित शीर्ष के अंतर्गत किया जाएगा। निधि से वित्तपोषित किए जाने वाले मौजूदा व्यय राशि निवेश के निपटान द्वारा निधि से निकाली जाएगी।

(छ) बैंक निधि के नाम पर एक चालू खाता और सहायक सामान्य खाता बही खोलेगा और प्रत्येक वर्ष सितंबर तथा मार्च के अंत में निवेश का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सरकार को प्रस्तुत करेगा।

निधि के प्रबंधन हेतु सेवा शुल्क

10 सरकार निधि के टर्नओवर पर एक प्रतिशत का 1/8 प्रतिशत की दर से या समय-समय पर पारस्परिक रूप से तय की जाने वाली दर से बैंक को कमीशन का भुगतान करेगी।

लेखा एवं लेखापरीक्षा

11 निधि और निवेशों के लेखे सामान्य रूप से राज्य के मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा अनुरक्षित रखे जाएंगे। बैंक सहायक खाते को इस तरीके तथा विवरण के साथ अनुरक्षित रखेगा जैसा कि सरकार मुख्य लेखा नियंत्रक के परामर्श से उचित समझे।

बचत

12 योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय-समय पर योजना के प्रावधानों से संबंधित अनुदेश जारी करेगी। योजना के किसी भी प्रावधान के संचालन में कोई कठिनाई होने की स्थिति में, यदि सरकार संतुष्ट हो तो, उस प्रावधान में छूट दे सकती है।

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के
उप-राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
संतोष द. वैद्य, प्रधान सचिव (वित्त)

FINANCE DEPARTMENT

(Public Finance Cell)

NOTIFICATION

Delhi, the 29th July, 2026

No.F.FIN-PF/2/2026-PF-FD/345812/ 209.— The Lt. Governor of Government of NCT of Delhi is pleased to constitute the following scheme to be known as the Scheme for Constitution and Administration of the Consolidated Sinking Fund of Government of National Capital Territory of Delhi.

Scheme for Constitution and Administration of the Consolidated Sinking Fund of Government of National Capital Territory of Delhi

Title of the Scheme	1.	The Scheme shall be called 'Consolidated Sinking Fund (hereinafter referred to as 'the Fund') Scheme' of the Government of National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as 'the Government').
Constitution of the Fund	2.	The Fund will be constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi for redeeming its outstanding liabilities.
Objective of the Scheme	3.	The Fund is to be utilized as an Amortization Fund for redemption of the outstanding liabilities of the Government commencing from the financial year 2026-27.
Commencement of the Operation of the Scheme	4.	The Fund shall come into force with effect from the date of the notification. The Operation of the Scheme is as under:

(a) The Fund shall substitute the existing fund mentioned under the extant CSF scheme adopted by the Government.

(b) The outstanding balances of the existing fund under the extant CSF Scheme as at end-March-2026 shall be transferred to the Fund.

(c) 50 per cent of the outstanding corpus held in the CSF as on March 31 of the second preceding financial year, or the amount of redemption falling due during the financial year (April – March), whichever is less, should be reckoned for arriving at the maximum eligible limit for withdrawal from the CSF during the year.

(d) The Fund shall not be utilized for any purpose other than redemption of the outstanding liabilities of the Government.

(e) The State Government can avail of short-term accommodation under Special Drawing Facility (SDF) from Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'the Bank') against the collateral of investment made in CSF for meeting temporary cashflow mismatches, subject to the terms and conditions as fixed by the Bank from time

to time.

(f) The outstanding liabilities is defined to comprise both internal debt and public account liabilities of the Government.

Contributions to the Fund	5.	The Government should make conscious efforts towards building up the CSF corpus to five per cent of the outstanding liabilities within a span of five years. There is no ceiling on such contributions to the Fund in terms of number of times of making contributions in a year. It is open to the Government to invest in the Fund from the General Revenue at any time or from other sources such as disinvestment proceeds, at its discretion. The Government shall not fund its contribution to the Fund out of borrowings from the Reserve Bank.
Relationship of the Fund with General Revenues	6.	The corpus of the Fund comprising the periodic contributions as well as the income accruing to the Fund shall be kept outside the General Revenue of the Government. The Fund shall be utilized in the manner prescribed in this Scheme.

Administration of the Fund	7.	The Fund shall be administered by Central Accounts Section of the Bank at Nagpur, (subject to such directions instructions as the Government may issue from time to time).
Investment of the corpus of the Fund	8.	The accretions to the Fund shall be invested in Government of India (GoI) dated Securities, Special Securities of GoI, Treasury Bills and State Government securities of other States of such maturities as the Bank may determine from time to time in consultation with the Government. Explanation (a) The accretions to the Fund shall include the periodic contributions and the income accruing to the Fund from investment thereof. (b) The Bank will make available the securities for investment by acquiring the securities from the secondary market, without loading any charge other than that indicated in paragraph 10.
Account Transactions	9.	(a) The Bank would arrange to raise a debit to the account of the Government maintained with it as per the advice of the Government.
		(d) The provision for expenditure on account of the periodic contributions shall be made in the Budget of the Government under the relevant head. The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by the disposal of the investment. (e) The Bank shall open a Current Account and Subsidiary General Ledger Account in the name of the Fund and furnish to the Government as at the end of September and March each year, a statement showing the details of investments.
Service charges for administration of the Fund	11	The Government shall pay to the Bank a commission at the rate of 1/8 per cent of one per cent on the turnover of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time.
Accounts and Audit	12	The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by the Chief Controller of Accounts / Principal Accounts Office of the State in the normal course. The Bank will maintain subsidiary accounts in such manner and details as may be considered by the Government in consultation with the Chief Controller of Accounts / Principal Accounts Office.
Savings	13	The Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of Scheme, the Government may, if satisfied, relax the provisions.

By order and in the name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

SANTOSH D. VAIDYA, PR. Secy. (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.08.05 12:25:09 +05'30'